A

APPROVAL FROM EXECUTIVE COUNCIL (EC)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 35/का.प./बैठक/2022 बिलासपुर, दिनांक 16/06/2022

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 08/नियमित/2022, **दिनांक 15/06/2022, दिन बुधवार** को अपरान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4, 5, 7 एवं 9 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

2. **प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

3. **श्री एस.एल.नायक** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन,
   पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री एम. डी. दीवान** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
   अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

5. **श्री प्रफुल्ल शर्मा** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

6. **श्री उचित सूद** – सदस्य
   होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

7. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

8. **डॉ. प्रकृति जेम्स** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

9. **पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु** — सदस्य
(विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से)
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री गुलाब कमरो** — सदस्य
उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

2. **श्री संतराम नेताम** — सदस्य
उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

3. **श्री आर.के. पटेल** — सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 07/नियमित/2022 की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – कार्यवृत्त को सम्पुष्टि दी गई तथा पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया। पालन प्रतिवेदन के प्रस्ताव क्रमांक 5 (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से) में 'प्रदेश के सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी लागू होगा' इसे जोड़ा जाए के साथ–साथ अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त अधिवक्ता के देयक 25,000/– रू. भुगतान संबंधी।

निर्णय – विशेष प्रकरण के रूप में स्वीकृत करनें के पूर्व राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शुल्क के अनुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विधिक शुल्कों की सूची में महाधिवक्ता

अथवा अतिरिक्त महाधिवक्ता शुल्क न होने की स्थिति में विशेष प्रकरण के रूप में रूपये 25,000/– भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2022–23 के अनुमोदन संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2022–23 का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सदस्य विद्यापरिषद् के द्वारा प्राप्त त्याग पत्र संबंधी।

निर्णय – प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सदस्य विद्यापरिषद् के द्वारा प्राप्त त्याग पत्र स्वीकार किया गया। प्रो. एच.एस. होता, प्राध्यापक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का मनोनयन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 265/एफ 2013–04–00416/ वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/05/2022 की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय के शिक्षको का CAS (Career Advancement Scheme) के अंतर्गत क्रमोन्नत प्रकरणों पर विचार संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों का CAS (Career Advancement Scheme) संबंधी नियमों तथा नये प्रारूप (PBAS) के आधार पर यथाशिघ्र प्रक्रिया कर कार्यवाही की जाए।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों में से विशिष्ट अध्ययन केन्द्र के रूप में चिन्हित/अंकित किये गये केन्द्रों की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों हेतु पार्किंग शेड बनाने विषयक।

निर्णय – विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों हेतु पार्किंग शेड बनाने की अनुमति प्रदान की गई। रूपये 10,50,000/– (दस लाख पचास हजार रूपये) राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। वाहनों को शेड तक पहुँचाने के पहुँच मार्ग (Aproach Road) बनाया जाए। पेवर सहित कार्य कराया जाए। पहुँच मार्ग (Aproach Road) एवं पेवर सहित कार्य के लिए बढ़े हुए लागत की स्वीकृति के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – यांत्रिकि विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – **विश्वविद्यालय सी.ए. पैनल की सूची के अनुमोदन पर विचार संबंधी।**

निर्णय – श्री संजय मिश्रा को पुनः एक वर्ष के लिए सी.ए. का कार्य दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 10 – **विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/एडव्होकेट ऑन रिकार्ड के शुल्क एवं सत्र/सिविल न्यायालयों के प्रति (पैरवी) यात्रा व्यय पुनः निर्धारण संबंधी।**

निर्णय – सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित शुल्क की सूची के क्रमांक 05 (वरिष्ठ अधिवक्ता प्रति हियरिंग/प्रति प्रकरण शुल्क रू. 50,000 के स्थान पर रू. 40,000) आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्तावित शुल्क को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्च नयायालयों में अधिवक्ताओं के शुल्क के प्रस्ताव को मान्य किया गया। इसके साथ–साथ महाधिवक्ता एवं उप–महाधिवक्ता के शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये शुल्क प्रस्ताव को इस विश्वविद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया जाय। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए शुल्क जारी न करने की स्थिति में रूपये 10,000/– महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता शुल्क रूपये 5,000/– पेपर वर्क कुल 15,000/– रूपये विधिक अधिमत के लिए शुल्क स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही – विधि विभाग

प्रस्ताव क्र. 11 – **सत्र न्यायालयों में अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले शुल्क/प्रस्तावित शुल्क संबंधी।**

निर्णय – सत्र न्यायालयों में अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क को मान्य किया गया।

कार्यवाही – विधि विभाग

प्रस्ताव क्र. 12 – **अधिवक्ता श्री समीर कुमार शर्मा के देयक भुगतान संबंधी।**

निर्णय – अधिवक्ता श्री समीर कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत देयक पर विचार किया गया। यात्रा भत्ता, विधिक व्यय एवं वाहन बिल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत को यथावत स्वीकृति प्रदान की गई। सूनवाई हेतु प्रस्तुत देयक को प्रति सुनवाई पुर्वनत रूपये 300/– ही मान्य किया गया। प्रति सुनवाई 300 रूपये मान्य करते हुए भुगतान की स्वीकृति मान्य की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 13 – **विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय/अध्ययन केन्द्रों हेतु कम्प्युटर, प्रिंटर कम स्केनर एवं UPS के देयक राशि रूपये 82,70,980/– के भुगतान संबंधी (विश्वविद्यालय बजट–2021–22 के Head of Account C-1 Grant from UGC on item for development funds से विकलनीय)।**

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यादेश के अनुरूप देयक प्राप्त कर लिया जाय। फर्म द्वारा प्रदाय सामग्री जिसका भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त की अनुशंसा पर फर्म श्री राम कम्प्यूटर के देयक की राशि रूपये 82,70,980/– (ब्यासी लाख सत्तर हजार नौ सौ अस्सी रूपये) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 14 – विद्यापरिषद् की 38 वीं (नियमित) बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 15 – योजना मंडल की 11 वीं (नियमित) बैठक के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – आकदमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 16 – विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों से Alumni Student Fees Rs. 100/– लिये जाने संबंधी।

निर्णय – Alumni Student Fees Rs. 100/– लिये जाने के पूर्व छात्र की सहमति लेकर उक्त शुल्क लिया जाए। किस कारण से यह शुल्क लिया जा रहा है इसकी विस्तृत जानकारी विद्यार्थी को दी जाए।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 17 – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/स्थापित नवीन अध्ययन केन्द्रों एवं संचालित/स्थापित बंद किये गये अध्ययन केन्द्रों की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 18 – विश्वविद्यालय सत्रांत परीक्षा जुलाई–जून 2021–2022 के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र/अध्ययन केन्द्रों को अग्रिम राशि रू. 22,78,000/– (बाईस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी।

निर्णय – राशि रू. 22,78,000/– (बाईस लाख अठहत्तर हजार रूपये) की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 19 – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी।

निर्णय – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था में M/s Shree Siddhi Vinayak Service, Bilaspur को उसके कार्य की समीक्षा करते हुए 1 वर्ष के लिए पूनः कार्य दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी वर्ष में समय पर (जनवरी–फरवरी) में टेंडर कर कार्य दिया जाए।

कार्यवाही – स्थापना/प्रशासन विभाग

प्रस्ताव क्र. 20 – डी.एल.एड. छात्रा रंजीता के प्रवेश संबंधी।

निर्णय – डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष की छात्रा रंजीता सूर्यवंशी को विशेष प्रकरण के रूप में प्रवेश देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र. 21 – स्वअध्ययन सामग्री मुद्रण संबंधी।

निर्णय – शासकीय मुद्रणालय को स्व. अध्ययन सामग्री मुद्रण के लिए शासन आदेश का परिपालन करते हुए कार्यादेश दिये जाने कि स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर श्री उचित सूद द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई जिसमें उनके द्वारा स्व अध्ययन सामग्री मुद्रण कार्य टेडंर के माध्यम से दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया। कार्यपरिषद् की आगामी बैठक तक स्व अध्ययन सामग्री मुद्रण संबंधी कार्यादेश क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

BGS 15-06-22

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्रं. 36 / का.प. / बैठक / 2022, बिलासपुर, दिनांक 15 / 06 / 2022

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –

3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केषकाल, जिला कोण्डागांव।

3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।

3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।

3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।

3.6 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.7 संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।

3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।

3.11 डॉ. प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही–विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।

5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. संबंधित विभाग प्रमुखों .... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

7. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

B

APPROVAL FROM PLANNING BOARD

(PB)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 29 / यो.मं. / बैठक / 2022, बिलासपुर, दिनांक 13/06/2022

/ / अधिसूचना / /

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के योजना मंडल की 11वीं (नियमित) बैठक दिनांक 13/06/2022, दिन सोमवार, अपरान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में प्रत्यक्ष उपस्थिति / विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रहीः–

1.	डॉ. बंश गोपाल सिंह कुलपति / अध्यक्ष पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर (छ.ग.) (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)	–	सदस्य
3.	श्री विकास मरकाम मकान नं. ए/15 बरगद पेंड, गोल चौक, सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे राधास्वामी नगर, रायपुर (छ.ग.)	–	सदस्य
5.	प्रो. शोभित कुमार बाजंपेयी क्षेत्रीय निदेशक पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
6.	डॉ. इंदु अंनत कुलसचिव पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके–

1.	श्री ब्रजेन्द्र शुक्ला (कोचिंग संस्थान संचालक) ए.आर. टावर, खमतराई रोड, बिलासपुर (छ.ग.)	–	सदस्य
2.	श्री कमलचन्द्र भंजदेव, राजमहल द पैलेस, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)	–	सदस्य

सर्व प्रथम योजना मंडल की बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय योजना मंडल की 10 वी (आपात) बैठक की कार्यवाही–विवरण की सम्पुष्टि प्रदान करना एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के Strategic Plan, Methodology & Mechanism के अनुमोदन पर विचार संबंधी।

निर्णय – अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 03 – एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को किये जाने हेतु यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 के Part-A-1(h) में सम्मिलित किये जाने संबंधी विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के निर्णय की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – सूचना ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की समीक्षा किये जाने संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की गई। ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें छात्र संख्या लगातार घटती जा रही है यथा Post Graduate Diploma In Advertising and Public Relation एवं Post Graduate Diploma In Broadcast Journalism and New Media को अभी स्थगित किया जाए भविष्य में छात्रो की मांग पर प्रारंभ किया जाए। इसके साथ–साथ Rural Development में Diploma Courses चलाए जाए। C.V. Raman University से MoU हुआ है अतः पाठ्यसामाग्री के लिए CVRU तथा अन्य विश्वविद्यालयों से सहयोग लिया जाए। विभिन्न स्नात्कोत्तर विषय जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, मनोविज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान तथा छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम संचालित करने के किए प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

योजना मंडल की अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाये। बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह) कुलपति / अध्यक्ष	(इंदु अनंत) कुलसचिव / सचिव

पृष्ठां. क्रं. 30 / यो.म. / बैठक / 2022.

बिलासपुर, दिनांक 13 / 06 / 2022

प्रतिलिपि–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति / निज सहायक, कुलसचिव को कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण–

3.1 श्री विकास मरकाम; मकान नं.ए / 15 बरगदपेंड, गोल चौक, सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे राधास्वामी नगर, रायपुर (छ.ग.)

3.2 श्री ब्रजेन्द्र शुक्ला (कोचिंग संस्थान संचालक), ए.आर. टावर, खमतराई रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

3.3 श्री कमलचन्द्र भंजदेव, राजमहल द पैलेस, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

3.4 डॉ. राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3.5 प्रो. शोभित कुमार बाजपेयी, क्षेत्रीय निदेशक, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

4. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संबंधित विभाग प्रमुखों------------------------------------कोइ सनिर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीध्र अधोहस्ताक्षर कर्त्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
6. नस्तीहेतु।

कुलसचिव

C

APPROVAL FROM ACADEMIC COUNCIL

(AC)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 414 /अका./वि.प./बैठक/2022, बिलासपुर, दिनांक 10/06/2022

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 38 वीं नियमित बैठक दिनांक 10/06/2022, दिन शुक्रवार अपरान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय 'सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. **प्रो. एल.पी. पटैरिया,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट)
3. **प्रो. आर.पी. दास** – सदस्य
सम कुलपति
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)
4. **संचालक** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)
5. **डॉ. राजलक्ष्मी सेलट,** (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
आयुक्त के नामिनी
उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)
6. **प्रो. मीता झा,** (विडियो कांन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) – सदस्य
पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)
7. **प्रो. शोभित कुमार बाजपेयी** – सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. **डॉ. बीना सिंह,** – सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
9. **डॉ. अनिता सिंह,** – सदस्य
सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

10. डॉ. प्रीती रानी मिश्रा, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

11. डॉ. पुष्कर दुबे, — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर

12. डॉ. इंदु अनंत, — सचिव
कुलसचिव,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया –

प्रस्ताव क्र. 01 – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 36 वीं (नियमित) एवं 37 वीं (एजेण्डा बाय सर्कुलेशन) बैठक के कार्यवाही विवरण एवम् पालन प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को किये जाने हेतु यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विश्वविद्यालय में अंगीकृत कर विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 के Part-A-1(h) सम्मिलित में किये जाने पर विचार।

निर्णय – "Part-A 1 (h): Pursuing Two Programmes At A Time:
Guidelines for Pursuing two academic programmes simultaneously notified by the UGC from time to time will be applicable." को अंगीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र. 03 – यू.जी.सी. द्वारा जारी एम.फिल./पी.–एच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया द्वितीय संशोधन विनियम 2018 को विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 01 Part B में सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय – 1. अध्यादेश में M.Phil को विलोपित किया जाए।

2. Part B की कंडिका 4 के क्रमांक III एवं IV पर यथाप्रस्तावित सम्मिलित किया जाए।

3. 4.B (iv) Ratio of Entrance Qualified and exempted category will be 40%:60% subject to guideline issued by UGC in this regard from time to time. पर सम्मिलित किया जाय।

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविधालय मे स्नातक स्तर पर Multiple Exit एवं Multiple Entry नियमों को अंगीकृत कर विश्वविधालय में अध्यादेश में सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित किया गया तथा यह भी जोड़ा जाय की
"Provisions will be applicable subject to guidelines and policies of the state government to be framed from time to time."

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – Strategic Plan, Methodology & Mechanism के Core Values of the University में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 06 – विश्वविद्यालय विषयों के अध्ययन मण्डलों की कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

–पूरक प्रस्ताव–

प्रस्ताव क्र. 07 – बी.एस.सी. (गणित) पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर विज्ञान को शामिल करते हुए PPR के संशोधन पर विचार।

निर्णय – मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र. 08 – भौतिक शास्त्र विषय के अध्ययन मण्डल की बैठक के लिए गए निर्णय पर विचार।

निर्णय – मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र. 09 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Policy Document के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 10 – आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संबंधी : अध्यादेश क्र. 1 भाग C के बिन्दु 7 : Conduct के क्रमांक 2 आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की व्यवस्था को जोड़े जाने पर विचार।

निर्णय – "1. विश्वविद्यालय के आंतरिक परीक्षक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक हो सकते है।

2. शासकीय महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक।

3. अशासकीय महाविद्यालयों के परिनियम 28 में नियुक्त शिक्षक।

4. विश्वविद्यालय के समन्वयक/कार्यक्रम समन्वयक होने पर विशेष परिस्थिति में आंतरिक परीक्षक हो सकते है जो UGC के नियम के अनुसार शिक्षक होने की योग्यता पूर्ण करते हो ऐसी स्थिति में ये आंतरिक परीक्षक के रूप में विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे। जो विद्यार्थियों से सीधे संबंधित नहीं रहा हो ऐसे योग्य परीक्षकों को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह एक ही संस्था/महाविद्यालय में कार्यरत हों।"

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं.. 615 /अका./वि.प./बैठक/2022,　　　　　　बिलासपुर, दिनांक 10/06/2022

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्माननीय सदस्यगण –
   - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी–3, नया रायपुर (छ.ग.)
   - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
   - 2.3 प्रो आर.पी. दास, सम कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
   - 2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, माननीय कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
   - 2.5 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
   - 2.6 प्रो. शोभीत कुमार बाजपेयी, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
   - 2.7 डॉ. बीना सिंह, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, शिक्षा विभाग, PSSOU
   - 2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
   - 2.9 डॉ. प्रीती रानी मिश्रा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग, PSSOU
   - 2.10 डॉ. पुष्कर दुबे, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्रबंधन, PSSOU

   की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही–विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्यापरिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।

कुलसचिव